19/4/17	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित ... की ओर से श्री संतोष शर्मा एडवोकेट पेश। पत्रावली वास्ते जवाब T.I. दि. 18/5/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
18/5/17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार - 2017 कैम्प - अटल सेवा केन्द्र मोंगेपुरा पर पेश हुई पक्षकारान उपस्थित नहीं। पत्रावली अग्रिम दिनांक 30/6/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
30/6/17	पत्रावली पेश हुई वकील फरीकैन उप0। वकील गैरसायलान ने जवाब T.I. मय दो किता दस्तावेज के साथ पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। नकल वकील सायलान को दिलाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सायलान गरीब अनुसूचित जाति के गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। सायलान के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.न. 1/4 रकबा 8 बीघा ग्राम मोंगेपुरा तहसील मंडरायल में स्थित है। उक्त आराजी के कुछ हिस्से में सरसों तथा गेहूँ की फसल खड़ी है। गैरसायलान हम सायलान की भूमि को ताकत के बल पर छीनना चाहते हैं। दिनांक 5.2.17 को गैरसायलान ने सायलान कि भूमि पर लाठियां लेकर आये और उन्होंने मुझ सायलान.1 से कहा कि तुम लाख-पचास हजार रुपये हमसे लेकर इन जमीनों का बयनामा हमारे हक में करा दो अन्यथा हम तुम्हें उक्त आराजी पर किसी भी सूरत में काश्त नहीं करने देंगे और जमीन को जबरदस्ती छीन लेंगे। दूसरे दिन दिनांक 6-2-17 को गैरसायलान ने

P.T.O.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हम सायलान की उक्त आराजी पर आकर जबरदस्ती उक्त मकानीयात निर्माण कराने के उद्देश्य से नींव खोदकर उसमें निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया। मना करने पर रायफल के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गये। तब सायल ने पुलिस थाना मण्डरायल में रिपोर्ट की परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही गैरसायलान के विरूद्ध नहीं की। गैरसायलान के उक्त कृत्य से सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है। इसलिए सायलान गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। अन्त: में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।
	गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित भूमि पर सायलान का कोई कब्जा काश्त नहीं है। ना ही सायलान द्वारा कभी कोई फसल बोई है। गैरसायलान ने सायलान से कभी भी जमीन का बयनामा कराने की नहीं कहा है। सायलान का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। तब जबरदस्ती छीनने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। गैरसायलान ने सायलानको कभी भी धमकी नहीं दी। दिनांक 6.2.17 को हम गैरसायलान के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ग्राम मोंगेपुरा में हम गैरसायलान की आराजी एलोट हुयी थी, जिसमें हम गैरसायलान के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 1/732 रकबा 15 बीघा है। सायलान खातेदारी की आड में गैरसायलान की भूमि को गलत तौर पर हड़पना चाहते है। सायलान का उस भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। विवादित भूमि में गैरसायलान के 5 कमरों की बाड़ाबंदी करीब 4-5 साल पूर्व से हो रही है तथा एक साल पूर्व का एक पक्का कमरा बना हुआ है, जहाँ वह रिहायश करता है। एक पाटौर व गढ छपरा करीब 20 साल पूर्व से गैरसायल नं. 1 व 2 की जमीन पर बनी हुई है व जमीन में बोर पिता मुगान के समय से है जिसमें विद्युत कनेक्शन हम गैरसायलान के नाम है। ख.नं. 1/4 की नक्शा शीट में कहीं भी कोई तरमीम नहीं है, ना ही थी। इस जमीन पर सायलान का कब्जा नहीं है। कब्जाकाश्त गैरसायलान का है, जो सायलान का स्वीकृत तथ्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।
	बहस वकील फरीकैन सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायलान ने बहस में प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए ही कथन किया है कि ख.नं. 1/4 रकबा 8 बीघा

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	ताकत के बल पर छीनना चाहते हैं और अवैध निर्माण करके सायलान के खातेदारी हकों को समाप्त करना चाहते हैं। जिसका गैरसायलान को विधिक अधिकार नहीं है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी व शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। सायलान का प्रथम दृष्टया केस साबित है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया, तो सायलान को अपूरणीय क्षति व असुविधा होगी। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने एवं गैरसायलान को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।
	वकील गैरसायलान का बहस में कथन है कि विवादित भूमि पर सायलान का कोई कब्जा नहीं है। ख.नं. 1/4 की नक्शा शीट में तरमीम नहीं हो रही है। ख.नं. 1/731 रकबा 15 बीघा भूमि गैरसायलान के खातेदारी कब्जे की है जिसमें गैरसायलान नं. 1 व 2 की पक्की पाटौर व मकानीयात बनी है व दासाबन्दी 5 कमरों की है। गैरसायलान की भूमि में बोर लगा हुआ है। जिसमें विद्युत कनेक्शन भी गैरसायलान का स्थापित है। उक्त ख.नं. 1/731 में ही गैरसायलान निवास करते हैं। सायलान का ख.नं. 1 में किसी भी स्थान पर कब्जा काश्त नहीं है। मात्र खातेदारी सायलान ख.नं. 1/4 की आड़ में गैरसायलान की भूमि ख.नं. 1/731 को छीनना चाहते हैं। सायलान को कोई अपूरणीय क्षति व असुविधा नहीं है। यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो गैरसायलान अपनी भूमि के कब्जे काश्त व रिहायश से वंचित हो जायेंगे। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।
	बहस वकील फरीकैन का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2071-74 व नक्शा शीट ख.नं. 1 ग्राम मोजीपुरा का अवलोकन किया गया, जिससे ख.नं. 1/4 सायलान के खातेदारी में अंकित होना व ख.नं. 1/731 गैरसायलान के खातेदारी में अंकित होना एवं ख.नं. 1/4 व 1/731 की राजस्व नक्शा शीट में तरमीम न होना प्रकट है। ऐसी स्थिति में वादी ख.नं. 1/4 की नक्शा शीट में स्थिति साबित करने में एवं किस स्थान पर सायलान की भूमि है, वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा० पत्र से साबित नहीं कर सके हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस सायलान के हक में प्रतीत नहीं होता है ना ही सायलान को कोई ...

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	70 से 80 बीघा का है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होवे। नकल से कम होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **मण्डरायल (करौली)**